रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092022-238592
CG-DL-E-03092022-238592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944
No. 601] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2022

सा.का.नि. 680(अ).—अंतर-राज्यिक गैर परिवहन यान नियम, 2022 का प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 211 (अ), तारीख 16 मार्च, 2022 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) तारीख 16 मार्च, 2022 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 16 मार्च, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 139 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर-देशीय गैर-परिवहन यान नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) अधिनियम से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) "चालक अनुज्ञप्ति" से मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति, उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट वर्ग या विवरण के मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत करना अभिप्रेत है;

(ग) "बीमा पॉलिसी" से बीमा की ऐसी पॉलिसी अभिप्रेत है जो अधिनियम के अध्याय 11 की अपेक्षाओं के अनुपालन में जोखिमों को कवर करती है;

(घ) "अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट" से सड़क यातायात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1949 या किसी भी बाद के कन्वेंशन के अधीन जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट अभिप्रेत है और भारत और अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित है जो 19 तारीख सितंबर, 1949 के दिन को जिनेवा में हस्ताक्षरित सड़क यातायात पर कन्वेंशन के पक्षकार हैं;

(ङ) "गैर-परिवहन यान"से एक मोटर यानअभिप्रेतहै जो परिवहन यान नहीं है;

(च) "प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र" से मोटर यान की उत्सर्जन सीमा की जांच करने के लिए मूल देश के शासन के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(छ) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र"जब मोटर यान के संदर्भ में उपयोग किया जाता है तो इसका मतलब मूल देश के शासन के अनुसार जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्रेतहै;

(ज) "रजिस्ट्रीकरण" चिह्न से एक रजिस्ट्रीकृत संख्या, या एक रजिस्ट्रीकृत पत्र और संख्या, या रजिस्ट्रीकृत पत्र और संख्या या मोटर यान को सौंपे गए नंबर अभिप्रेतहै।

3. यान-भारत में प्रवेश करते समय दूसरे देश में रजिस्ट्रीकृत एक गैर-परिवहन यान का निर्माण और रखरखाव इस तरह किया जाएगा कि वह इसे चलाने वाले व्यक्ति के प्रभावी नियंत्रण में हर समय बना रहे।

4. अपेक्षित दस्तावेज- (1) मेजबान देश में ठहरने की अवधि के दौरान यान में निम्नलिखित दस्तावेज ले जाया जाएगा, अर्थात्: -

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(ख) चालक अनुज्ञप्ति या अंतरराष्ट्रीय चालक परमिट, जो भी लागू हो;

(ग) बीमा पॉलिसी;

(घ) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, यदि मूल देश में लागू हो;

(2) मोटर यान चलाने वाला व्यक्ति उप नियम (1) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज, भारत में प्रवेश करते समय और ठहरने की पूरी अवधि के दौरान कब्जे में रखेगा और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हैं, तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ ले जाया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण चिह्न, अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में प्रदर्शित होने की स्थिति में, यान के आगे और पीछे अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाएगा।

5. प्रतिबंध-भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में रजिस्ट्रीकृत मोटर वाहनों को भारत के क्षेत्र में स्थानीय यात्रियों और मालों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।

6. **यातायात नियमों का अनुपालन**—भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में रजिस्ट्रीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो का पालन करना होगा।

7. नियमों का विचलन, यदि कोई हो- इन नियमों और भारत तथा अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के बीच कोई विवाद होने की स्थिति में, बाद वाला प्रबल रहेगा।

[फा. सं. आरटी-11036/205/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2022

G.S.R. 680(E).—the draft rules the Inter-Country Non-Transport Vehicle Rules, 2022 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 211 (E), dated the 16th March, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th March, 2022 inviting objections and suggestions from all persons;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 16th March, 2022;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 139 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Motor Vehicles Non Transport Vehicles Visiting India Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) “Act” means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) “driving licence” means the licence issued by a competent authority of the origin country, authorising the person specified therein to drive a motor vehicle of any specified class or description;

(c) “insurance policy” means a policy of insurance which covers risks in compliance with the requirements of Chapter XI of the Act.

(d) "international driving permit" means the international driving permit issued under the International Convention of Road Traffic, 1949 or any subsequent Convention ratifying the same and signed by India and other countries who are parties to the Convention on Road Traffic signed at Geneva on 19th day of September, 1949;

(e) “non-transport vehicle” means a motor vehicle which is not a transport vehicle;

(f) "Pollution Under Control Certificate" means pollution under control certificate issued by appropriate authority of the origin country to check a motor vehicle’s emission limits;

(g) “registration certificate” with reference to a motor vehicle, means the registration certificate issued by a competent authority of the origin country;

(h) “registration mark” means a registered number, or a registered letter and number, or registered letters and number or numbers assigned to the motor vehicle.

3. **Vehicles.**—A non-transport vehicle registered in the other country, when entering India, shall be so constructed and maintained as to be at all times under the effective control of the person driving it.

4. **Documents required.**—(1) The following documents shall be carried in the vehicle during the duration of stay in India, namely:–

(a) registration certificate;

(b) driving license or international driving permit, whichever is applicable;

(c) insurance policy;

(d) pollution under control certificate, if applicable in the origin country.

(2) The person driving the motor vehicle shall keep all the documents referred to in sub-rule (1) in his possession at the time of entering in India and during the entire period of stay, and shall always make available for inspection by the competent authority .

3) In case the documents referred to in sub-rule (1) are in a language other than English, then, an authorised English translation, duly authenticated by the issuing authority, shall be carried along with the original documents.

(4) The registration mark, in case displayed in any language other than English, shall be exhibited in English at the front and back of the vehicle.

5. **Restrictions.**—Motor vehicles registered in any country other than India shall not be permitted to transport local passengers and goods within the territory of India.

6. Compliance with traffic rules.—Motor vehicles registered in any country other than India shall comply with the provisions of the motor vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder.

7. **Deviation of rules, if any.**—In case, there is any conflict between these rules and the bilateral agreement, between India and other country, the latter shall prevail.

[No. RT-11036/205/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.03 14:20:03 +05'30'